P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-VI **Paper Name- Contract II** **Unit -1**

Q1. क्षतिपूर्ति की संविदा की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये। इसका प्रत्याभूति संविदा में अंतर कीजिये।

उत्तर -हानिरक्षा संविदा की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में दी गई. है, जिसके अनुसार, "कोई संविदा, जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि में उस दूसरे पक्षकार को बचाने की प्रतिज्ञा करता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है।"

"A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person, is called a contract of indemnity."(धारा 124)

विदाहरण के लिए-क किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के, जो 200 रुपये की किसी राशि के सम्बन्ध में ग, ख के खिलाफ चलाये परिणामों के लिए ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है।"

इस प्रकार जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हानिरक्षा का वचन देता है, उसे हानिरक्षक (Indemnificr) और जिसे ऐसा वचन दिया जाता है, उसे हानिरक्षाधारी (indemnity-holder) कहते हैं।)

क्षतिपूर्ति की संविदा की उक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि हानिकारक हानिरक्षाधारी की केवल उसी हानि की रक्षा करेगा जो उसे स्वयं हानिरक्षक या अन्य किसी व्यक्ति के कारण हो। इस प्रकार किसी घटना से हुई हानि की पूर्ति इस संविदा के अन्तर्गत नहीं है। अन्य शब्दों में, कहा जा सकता है कि बीमे की संविदा, क्षतिपूर्ति की संविदा से अलग है और इनकी श्रेणी में नहीं 7 आते लेकिन बम्बई उच्च न्यायालय ने एक मुकदमे में निर्णय देते हुए भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति संविदा की परिभाषा को सीमित रूप से समझा और अंग्रेजी राजनियम अनुसार उसे विस्तृत रूप में, लेकिन बीमे की संविदा भी क्षतिपूर्ति संविदाओं में सम्मिलित की गई।

क्षतिपूर्ति संविदाओं के आवश्यक तत्व (Essential elements contract of indem. nity) – क्षतिपूर्ति संविदा सामान्य संविदाओं का एक रूप है अतः इसमें वे सभी आवश्यक लक्षण पाये जाने आवश्यक हैं, जो एक वैध संविदा होने के लिए जरूरी हैं, जो कि निम्नलिखित हैं---

(i) यह दो पक्षकारों, जो कि संविदा करने में सक्षम हैं, के मध्य होना चाहिए।
(ii) संविदा में अपनी सहमति (mutual assent) होना आव है।
(iii) सहमति प्राप्त करने में धोखा, असम्यक् असर, मिथ्या व्यपदेशन इत्यादि का अंग नहीं होना चाहिए।
(iv) किसी आवश्यक तथ्य के बारे में पक्षकारों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
(v) संविदा का उद्देश्य एवं प्रतिफल वैधानिक होने चाहिए।

क्षतिपूर्ति संविदा के लिए नितान्त आवश्यक है कि उसका उद्देश्य वैध हो, यदि ऐसा न हुआ तो संविदा को प्रवर्तित न कराया जा सकेगा। एक लेखक द्वारा अपमानजनक प्रकाशन (libel) छापने वाले प्रिण्टर या प्रकाशन को दिया गया क्षतिपूर्ति का वचन प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। [Smith & Son Vs. Clinton & Horis (1908) 90L.T. 840] इसी प्रकार से एक अपराधी व्यक्ति द्वारा किसी जमानती की क्षतिपूर्ति करने का करार अप्रवर्तनीय है और अवैध हैं mar Nath Ve Nobel [Kumar Nath Vs. Nobokumar (1899) 26. Cal. 241] ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

एक संविदा की भाँति, क्षतिपूर्ति की संविदा मुख से कहे गये अथवा लिखे गये शब्दों द्वारा स्पष्ट (expressed) हो सकती है अथवा पक्षकारों के आचरण में गर्भित (implied) हो सकती है ।

हानिरक्षाधारी के अधिकार (Rights of indemnify-holder)- हानिरक्षाधारी के अधिकार के सम्बन्ध में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 125 उपबन्ध करती है, जिसके अनुसार हानिरक्षाधारी के निम्न अधिकार हैं

(1) हानिरक्षाधारी हानिरक्षक से उन सभी हानियों (damages) को वसूल करने का अधिकारी है जो उसे वाद के सम्बन्ध में भुगतान करनी पड़ी हैं जिसमें हानिरक्षा का वचन लागू है।

(2) हानिरक्षाधारी हानिरक्षक से उन सभी व्ययों (cosis) को भी वसूल करने का अधिकारी है जो उसे ऐसे वाद को करने में या उसका प्रतिवाद करने में उठाने पड़े; जिस वाद में हानिरक्षा की प्रतिज्ञा लागू है।

(3) हानिरक्षाधारी हानिरक्षक से उन सब राशियों को भी वसूल करने का अधिकार रखता जो उसे किसी ऐसे वाद (suit) के अन्तर्गत चुकानी पड़ी है; जिसमें हानिरक्षा का वचन लागू है।

हानिरक्षाधारी के अधिकारों को एक सीमा के अन्तर्गत ही लागू किया जा सकता है, प्रत्येक दशा में ये अधिकार उसे ही प्राप्त नहीं होते हैं। हानिरक्षाधारी इन अधिकारों का लाभ तभी प्राप्त कर सकेगा जबकि उसने हानिरक्षा के आदेशों का पालन किया है और उनके विपरीत जाकर कोई कार्य नहीं किया है। यदि वह हानिरक्षक के द्वारा किये गये आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। हानिरक्षाधारी के लिए यह भी आवश्यक है कि वह आज्ञाओं का पालन करने के साथ-साथ ठीक उसी प्रकार से कार्य करे जैसे कि एक साधारण बुद्धि का मनुष्य क्षतिपूर्ति की किसी भी संविदा के अभाव में करता है।

हानिरक्षाधारी के लिए यह भी आवश्यक है कि किसी प्रतिवादी के सम्बन्ध में व्यय (जो किये गये हों) हानिरक्षक से वसूल करने हेतु वह ऐसा प्रतिवाद करने की सही सूचना हानिरक्षक की जानकारी में ला दे [Byth Vs. Smith 5, M. & G. 405]।

हानिरक्षाधारी को एक ऐसे साधारण बुद्धि के मनुष्य की भाँति कार्य करना चाहिए जो कि तह मनुष्य क्षतिपूर्ति संविदा के अभाव में स्वयं करता। यदि वह मनुष्य किसी वाद के अन्तर्गत माँगा गया धन चुका देता है और उस वाद का प्रतिवाद नहीं करता है तो हानिरक्षाधारी का भी यही कर्तव्य है कि वह भी इसी प्रकार के वाद का प्रतिवाद करे और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह उसके अधीन किये गये व्यय को हानिरक्षक से वसूल नहीं कर सकता [Gopal Singh Vs. Bhawani Prasad (1880) 10 All. 531]

क्षतिपूर्ति संविदा और प्रत्याभूति संविदा में मुख्य अन्तर निम्न प्रकार हैं

(1) क्षतिपूर्ति संविदा किसी तीसरे पक्षकार या स्वयं वचनदाता के द्वारा उत्पन्न हुई हानि से वचनग्रहीता (indemnity-holder) की रक्षा करने हेतु गठित किया जाता है।

जबकि प्रत्याभूति संविदा मूलऋणी की ओर से एक जमानतस्वरूप होता है जो जमानत मूलऋणी की ओर से ऋणदाता को दी जाती है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(2) हानिरक्षा या क्षतिपूर्ति संविदा का क्षेत्र संकुचित होता है। इसके अन्तर्गत प्रत्याभूति की संविदा नहीं आती है। जबकि प्रत्याभूति संविदा का क्षेत्र क्षतिपूर्ति संविदा की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। इस संविदा में क्षतिपूर्ति की संविदा निहित है।

(3) क्षतिपूर्ति संविदा में हानिरक्षक या अन्य किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा उत्पन्न हानि को रक्षा का वचन दिया जाता है, जबकि प्रत्याभूति संविदा में किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा चूक करने पर उस तीसरे पक्षकार के वचन को पालन करने अथवा उसके दायित्व को निभाने का वचन निहित . होता है। इस तरह क्षतिपूर्ति संविदा में हानिरक्षक का प्रथम दायित्व होता है।

जबकि प्रत्याभूति संविदा में प्रतिभू का प्रथम दायित्व न होकर द्वितीय दायित्व होता है।

(4) क्षतिपूर्ति संविदा में हानिरक्षक और हानिरक्षाधारी केवल इन दोनों के मध्य ही संविदा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षतिपूर्ति संविदा में केवल एक ही संविदा सम्मिलित है।

जबकि प्रत्याभूति संविदा में मूलऋणी और ऋणदाता के मध्य, ऋणदाता और प्रतिभू के मध्य एवं प्रतिभू और मूलऋणी के मध्य संविदाएँ होती हैं। इस तरह प्रत्याभूति संविदा में तीन संविदाएँ सम्मिलित हैं।

(5) क्षतिपूर्ति संविदा केवल दो पक्षकारों के होने से ही गठित हो जाती है– एक हानिरक्षक और दूसरे हानिरक्षाधारी।

जबकि प्रत्याभूति संविदा के गठन के लिए तीन पक्षकार होने आवश्यक हैं। एक मूलऋणी. एक ऋणदाता और एक प्रतिभू

(6) क्षतिपूर्ति संविदा में हानिरक्षक का संविदा द्वारा उत्पन्न हुए व्यवहार में कुछ अवश्य होता है। हित

जबकि प्रत्याभूति संविदा में प्रतिभू का संविदा में कोई हित नहीं होता है संविदा से उसका सम्बन्ध प्रतिभूति के देने पर उत्पन्न होता है।

(7) क्षतिपूर्ति संविदा में हानिरक्षक उस पक्ष के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है जिसने हानि पहुँचाई हो। वह ऐसा मुकदमा तभी चला सकता है जबकि उसे उसके लिए हानिराधारी से अधिकार प्राप्त हो जाये।

जबकि प्रत्याभूति संविदा में प्रतिभू मूलऋणी के चूक करने पर उसके दायित्व के निर्वहन के "पश्चात् अपने नाम से उस पर मुकदमा चला सकता है।

Q2. प्रतिभू कौन होता है? प्रतिभू के अधिकार एवं कर्तव्यों को समझाइये।

उत्तर --प्रत्याभूति की संविदा, प्रतिभू मूलऋणी और ऋणदाता के सम्बन्ध में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 निर्मित की गई है। यह धारा निम्न प्रकार है-

"प्रत्याभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति को चूक की अवस्था में उसकी प्रतिज्ञा का पालन या दायित्व का निर्वहन करने की संविदा । वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है, 'प्रतिभू' कहलाता है; वह व्यक्ति जिसको चूक के लिए प्रत्याभूति दी जाती है, 'मूल ऋणी' कहलाता है और वह • व्यक्ति जिसकी प्रत्याभूति दी जाती है, 'ऋणदाता' कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकती है।"

"A 'Contract of Guarantee' is a contract to perform the promise, or discharge the liability, of a third person in case of his default. The person who gives the guarantee is called 'surety', the person in respect of whose default the guarantee is given, is

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

called 'principal debtor' and the person to whom the -guarantee is given, is called 'creditor'. A guarantee may be either oral of witten" (धारा 126)

प्रत्याभूति संविदा की उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि इस संविदा में एक ऐसा वचन निहित है जो किसी तीसरे पक्षकार के गलती करने की दशा में उस तीसरे पक्षकार के पालन के लिए अथवा उसके दायित्व का निर्वहन करने के लिए ऋणदाता को दिया जाता है तो इस तरह यह त्रिपक्षीय संविदा (tripartiate contract) कहा जाता है, जिसमें प्रतिभू, मूलऋणी एवं ऋणदाता होते हैं। तीन पक्षकार होने के कारण यह संविदा स्वतः ही तीन संविदाओं का सृजन करती है एक संविदा मूलऋणी और ऋणदाता के बीच, एक संविदा ऋणदाता और प्रतिभू के बीच और एक संविदा प्रतिभु और मूलऋणी के बीच होती है।

इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हुए ब अ से 500 रु. उधार माँगता है। अ, ब की इस शर्त पर रुपया उधार देने के लिए सहमत होता है कि ग उसके लिए उसे प्रतिभूति दे। ग, अको वचन देता है कि तुम ब को रुपया उधार दे दो, यदि ब उसे नहीं चुका पाया तो मैं चुका दूंगा। यहाँ यह भी एक प्रत्याभूति संविदा है, जिसमें अऋणदाता है और न मूलऋणी और ग प्रतिभू है।

प्रत्याभूति संविदा के सम्बन्ध में यह बात महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का उसकी जानकारी के बिना प्रतिभू नहीं बन सकता। इस प्रकार का निर्णय periamanna vs banias and co. (1926) 94 mad. 166 के मामले में दिया गया था।

प्रत्याभूति संविदा के सम्बन्ध में अन्य मुख्य बात यह है कि ऋणदाता और प्रत्याभूति दोनों ही संविदा करने की योग्यता रखते हों जबकि मूलऋणी का संविदा करने के लिए सक्षम होता आवश्यक नहीं है लेकिन यदि मूलऋणी संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह प्रत्याभूति संविदा के अधीन किसी भी दायित्व के लिए दायी नहीं होता है और ऐसी दशा में प्रतिभू हो मूलऋणी के समान माना जाता है।

प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल का विचार (concept of consideration for gua rantee) - प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल के सम्बन्ध में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 127 उपबन्ध करती है कि "मूलऋणी के फायदे के लिए की गई कोई बात या की गई कोई प्रतिज्ञा प्रत्याभूति देने के लिए प्रतिभू को पर्याप्त प्रतिफल दे सकेगी।"

<u>उदाहरण के लिए</u>- ख, क से उसे कुछ वस्तुएँ उधार बेचने के लिए कहता है। क उसे इस प्रकार वस्तुएँ बेचने के लिए इस बात पर सहमत होता है कि ग वस्तुओं की कीमत की प्रत्याभूति दे। ग ऐसी प्रत्याभूति दे देता है। क, ख को वस्तुएँ उधार बेच देता है। यहाँ ग की प्रत्याभूति के लिए क द्वारा ख को उधार वस्तुएँ बेचना ही पर्याप्त प्रतिफल है।

अन्य उदाहरण लेते हुए क, ख को कुछ वस्तुएँ बेचता है और ग, क से यह प्रार्थना करता है. कि वह एक वर्ष तक उसके ऋण के लिए ख पर वाद न चलाये और साथ में यह भी वचन देता है. कि यदि वह यह बात मान लेगा तो ख द्वारा वस्तुओं के भुगतान में गलती करने पर गूं. उन वस्तुओं के लिए भुगतान करेगा। क वाद प्रस्तुत नहीं करने के लिए सहमत हो जाता है। यहाँ ग के वचन के लिए यह पर्याप्त प्रतिफल है।

jogindar vs. chandra nath (1940) 31 cal. 242 के मामले में यह निश्चित किया गया था कि किसी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध दावे की क्षमा जमानतनामे के लिए पर्याप्त प्रतिफल है (the for bearance of a claim against a third person is a sufficient consideration for a surety bond) i

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-VI **Paper Name- Contract II** **Unit -1**

प्रतिभू के दायित्व से भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 सम्बन्धित है। इस धारा का कहना है, "प्रतिभू का दायित्व जब तक कि संविदा द्वारा उपबन्धित न हो, मुख्य ऋणी के दायित्व के समान विस्तृत है।"

"The liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract."

उदाहरण के लिए क एक विनिमय पत्र के अधीन दायी पक्षकार ग द्वारा भुगतान के लिए रख को प्रत्याभूति देता है। प्रस्तुत करने पर म विनिमय-पत्र को अनात कर देता है। इस दशा में क केवल उसे विनिमय-पत्र की रकम ही नहीं बल्कि उस पर शोध हुए ब्याज प्रभारों के लिए भी ख के प्रति दायी होगा।

प्रतिभू के दायित्व का उत्पन्न होना-कुछ मामलों में प्रतिभू का दायित्व मुख्य ऋणी के दायित्व के साथ ही प्रारम्भ हो जाता है लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं होता है और प्रतिभू का दायित्व मुख्य ऋणी द्वारा त्रुटि करने पर उत्पन्न होता है। जहाँ संविदा में यह लक्षित है कि मुख्य ऋणदाता पहले ऋणी के विरुद्ध कार्य (action) करेगा और तत्पश्चात् प्रतिभू के विरुद्ध यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह प्रतिभू के विरुद्ध कोई वाद हेतुक (cause of action) नहीं रखता (Radha Krishna Das Vs. Ajodhiya Das 1932 A.L.J. 1265)

प्रतिभू के दायित्व की सीमा- यह संविदा में की गई शर्तों पर निर्भर करती है। यद्यपि एक प्रतिभू अपने से सम्बन्धित ऋणो के समस्त कार्यों, जो कि प्रतिभू से सम्बन्धित हैं, के प्रति दायों रहता है किन्तु यदि संविदा में कोई विरुद्ध शर्त ऐसी लक्षित है तो वह दायी नहीं ठहराया जा सकता है, अत: जहाँ प्रतिभू ने किसी निश्चित माल की निश्चित मात्रा (quantity) एवं निश्चित प्रकार (quality) हेतु प्रत्याभूति दी है और मुख्य ऋणदाता ऐसा ही करता है तो प्रतिभू दायी नहीं ठहराया जा सकता है (Firm Purshottam Das Ganpati Lal Vs. Gulab Khan I.L.R. Pat. 950)1

(1) कहाँ प्रतिभू दायी नहीं ठहराया जा सकता है ? एक प्रतिभू उतनी रकम से ज्यादा देने के लिए आदेशित (ordered) नहीं किया जा सकता जितनी रकम उसने अपने जमानतनामे द्वारा भुगतान करने के लिए स्वीकार की है (Damodar Vs. Kusaji, Bom. P.J. (1995) p. 287]1

(2) यदि कोई ऋण अथवा दायित्व अवैधानिक है और इस कारण मूलऋणी के विरुद्ध अप्रवर्तनीय है, तो यह प्रतिभू के विरुद्ध भी प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है [A.V. Varabarjulu Naidu Vs. K.V. Thavasi Nadar, A.I.R. (1963) Mad. 413]

(3) यदि किसी का । के क्रियान्वयन (operation of law) से मूलऋऋणी अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है तो इसका यह प्रभाव नहीं होता कि प्रतिभू भी अपने दायित्व से मुक्त हो जायेगा और इस तरह प्रतिभू के विरुद्ध ऋणदाता का उपचार (remedy) उस रकम तक सीमित (restricted) नहीं किया जा सकता जिम स्क्रम के भुगतान के लिए उस विधि के क्रियान्वयन होने से ऋणी को बाध्य किया जा सकता हो ।

प्रतिभू को निम्नलिखित प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं

(1) मूलऋणी के विरुद्ध अधिकार,

(2) ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार,

(3) सह प्रतिभू की दशा में अन्य सह-प्रतिभुओं के विरुद्ध अधिकार,

(4) अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

इनका विवरण निम्न प्रकार है

(1) मूलऋणी के विरुद्ध अधिकार (Rights against the principal debtor) - जब. मूलऋणी अपने वचन का पालन करने में या अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहता है, तो उसके चूक करने की दशा में प्रतिभू को उसके दायित्व को पूरा करना होता है। प्रतिभू द्वारा दायित्व को पूरा करने पर उसकी स्थिति ऋणदाता की भाँति हो जाती है और उसे वे सभी अधिकार, प्राप्त हो जाते हैं जो प्रत्याभूति संविदा के अन्तर्गत ऋणदाता को मूलऋणी के विरुद्ध प्राप्त थे। कहने का आशय कि मूलऋणी की ओर से दायित्व का निर्वहन करने के पश्चात् प्रतिभू मूलऋणी से उस सारे धन को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है जो उसने संविदा के अन्तर्गत आवश्यक रूप से चुकाया हो ।

(2) ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार (Rights against the principal creditor) मूलऋणी की त्रुटि की दशा में उसकी ओर से दायित्व का निर्वहन करने के पश्चात्, प्रतिभू ऐसे प्रत्येक प्रत्याभूति का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है जो ऋणदाता के पास मूलऋणी के विरुद्ध उस समय प्राप्त थी जबकि प्रत्याभूति संविदा की गयी थी। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिभू को ऐसी प्रत्याभूति के अस्तित्व (existence) का ज्ञान हो। इसके सम्बन्ध में यह भी महत्त्वपूर्ण है कि यदि ऋणदाता प्रतिभू की सहमति लिए बिना ऐसी प्रत्याभूतिको अपने पास से खो देता है या किसी अन्य प्रकार से पृथक् कर देता है तो प्रतिभू ऐसी प्रत्याभूति के मूल्य तक अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है।

उदाहरण के लिए-क, ख को 2,000 रुपये उधार देता है और इसके लिए ग प्रत्याभूति देता है। क इस ऋण की प्रत्याभूति स्वरूप ख का 1,500 रुपये का फर्नीचर भी अपने पास बन्धक पर रख लेता है। बाद में क बन्धक को निरस्त कर देता है और ख ऋण चुकाने में असफल रहता है। यहाँ ग फर्नीचर के मूल्य तक की सीमा तक अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।)

(3) सह-प्रतिभुओं के विरुद्ध अधिकार (Rights against co-sureties)– (A) जहाँ या दो से अधिक व्यक्तियों को किसी ऋण या कर्त्तव्य के लिए संयुक्त रूपेण या पृथक् रूपेण, एक दूसरे के ज्ञान के अथवा बिना ज्ञान के वहाँ उन सह-प्रतिभुओं में से ऋण के ऐसे भाग के सम्बन्ध में बराबर-बराबर अंश देने का दायित्व है, जिस ऋण का भाग मूल ऋणी द्वारा नहीं चुकाया गया है।

उदाहरण के लिए-अ, ब को 1,500 रुपया उधार देता है और इसकी अदायगी के लिए द प, फ सह-प्रतिभू हैं। ब 1,500 रुपया चुकाने में असफल रहता है। द, प, फ, 500-500 रुपय देने के दायी हैं।

अन्य उदाहरण-अ, ब को 1,000 रुपया उधार देता है और इसके लिए और द के लिए प्रतिभू हैं। ब 1,000 रुपया चुकाने में त्रुटि करता है। स 250 रुपया देने के लिए और द 750 रुपया देने के लिए दायी है।

(B) सह-प्रतिभू जो भिन्न-भिन्न राशियों के लिए दायी हैं, अपने-अपने दायित्व की सीमा तक बराबर-बराबर भुगतान करने के लिए बाध्य होते हैं।

उदाहरण के लिए--क, ख का रोकड़ सम्बन्धी हिसाब-किताब रखने पर नियुक्ति करता है और इसके लिए अ 5,000 रुपया, ब 10,000 रुपया और स 15,000 रुपये तक के लिए प्रतिभू हैं। ख 15,000 रुपये का गबन करता । अ, ब और स प्रत्येक 5,000-5,000 रुपया देने के लिए बाध्य हैं।

अन्य उदाहरण–क, ख को अपने यहाँ रोकड़ का हिसाब-किताब करने के लिए नियुक्त करता है और इसके लिए अ 5,000 रुपये के लिए, ब 10,000 रुपये के लिए और स 15,000 रुपये तक के लिए प्रतिभू हैं। ख 25,000 रुपये की रोकड़ का गबन करता है। इस दशा में अ 5,000 रुपये के लिए और ब और स 10,000 10,000 रुपया देने के लिए दायी हैं।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(4) अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार (Rights against third persons) – जहाँ प्रतिभू किसी दूसरे व्यक्ति के पास कुछ पैसा जमा कर देता है और उसको प्रत्याभूति संविदा के अनुसार व्यय करने के लिए अधिकृत कर देता है तो इस दशा में प्रतिभू का यह अधिकार होता है कि वह उस तृतीय व्यक्ति से जमा किया हुआ पैसा वापिस ले ले।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW